

विन्द / भा 49 - 108/2023

9.10.24

पत्रावली पेश। प्रकरण में रसपोडट की लगील शेष हे इस हेतु अपीलांट शेष रसपोडट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली बास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 28.11.24 को पेश हों।

28.11.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व लगील से शेष रसपोडट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली बास्ते तलबी दिनांक 24.12.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

24.12.24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आरु न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानसार दिनांक 11.2.25 को पेश हों

11.2.25

पत्रावली पेश। कर्कली अपीलाट एव अपीलाट स्वय को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल टफतर हो।



प.प्र.बन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प मुन्डाना)